कृपया प्रकाशनार्थ **19 जून 2014**

भाजपा नेता श्री.राम नाईक तथा भाजपा मुंबई के अध्यक्ष विधायक श्री. आशिष शेलार द्वारा मुंबई में संयुक्त पत्रकार परिषद में गुरुवार, 19 जून 2014 को प्रसारित वक्तव्य

मतदाता सूचि में सुधार करना सुलभ होगा

मुंबई, गुरुवार :''पहले मतदाता होते हुए भी जिनके नाम लोकसभा चुनाव के समय मतदाता सूचि से निकाले गये थे, उनके नाम फिर से दर्ज करने की प्रक्रिया अब सुलभ होगी. ऐसे मतदाता पुरानी सूचि में उनके नाम कहाँ दर्ज थे इसकी जानकारी देते हैं यां फिर मतदाता पहचान पत्र का क्रमांक देते हैं तो उनसे फॉर्म 6 भरते समय कोई अन्य सबूत, जैसे की जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आदी नही माँगा जाएगा. साथ ही साथ जिन मतदाताओं के नाम बिल्डींग के पुनर्विकास के कारण निकाले गये है, उनके नाम भी फिरसे दर्ज करने के लिए पद्धति विकसित करेंगे,'' ऐसा स्पष्ट आश्वासन निर्वाचन आयोग ने कल नई दिल्ली में चर्चा के बाद भाजपा नेता श्री.राम नाईक तथा भाजपा मुंबई के अध्यक्ष विधायक श्री.आशिष शेलार को दिया. इस समय पूर्व उपमहापौर श्री. अरुण देव भी उपस्थित थे.

निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के समय 'मतदाता पर्चीयां' बाँटने का अभिनंदनीय निर्णय लिया था, किंतु सिर्फ पांच दिन पहले बाँटना शुरु करने से सभी मतदाताओं को वे नही मिली थी. इसलिए आनेवाले विधानसभा चुनाव के समय चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद मतदाता पर्चीयां बाँटना शुरु करेंगे, जिससे बँटवारे में धांदली नही होगी, ऐसा आश्वासन भी निर्वाचन आयोग ने दिया.

निर्वाचन आयोग के साथ हुई इस चर्चा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री. व्ही. एस. संपत, तथा आयुक्त द्वय श्री. एच.एस.ब्रह्मा व डॉ. नसिम झैदी और आयोग के अन्य आला अधिकारी भी उपस्थित थे. घर-घर जाकर नयी मतदाता सूचि तैयार करने की माँग पर वह काम विधानसभा चुनाव के पहले पूर्ण करने में चुनाव आयोग ने असमर्थता दिखायी. किंतु मतदाता सूचि में शत प्रतिशत मतदाताओं के छायाचित्र लगाने की पुरी कोशिश करने का आश्वासन भी निर्वाचन आयोग ने दिया.

''चर्चा में दिए सभी आश्वासनों पर कार्यान्वयन करने के निर्देश एक सप्ताह में महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दिए जाएंगे. साथ ही साथ इस संदर्भ में जनहित में विज्ञापन भी देंगे ऐसा आश्वासन भी निर्वाचन आयोग ने दिया. जिन मतदाताओं के नाम लोकसभा चुनाव के समय मतदाता सूचि से निकाले गये थे वें सभी अपने नाम फिर से दर्ज करें'' ऐसा आवाहन भी अंत में श्री. राम नाईक व श्री. आशिष शेलार ने किया.

(कार्यालय मंत्री)